

यूको बैंक
सम्मान आपके विश्वास का



UCO BANK
Honours your trust

**E-AUCTION
SALE NOTICE**

UCO Bank Zonal Office, Chandigarh - SCO 55-56-57, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh - 160017,
Phone: 0172-5037339, 5037340, E-mail: zochng.rec@uco.bank.in

SALE NOTICE OF E-AUCTION SALE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation & Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI) read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged / charged to the Secured Creditor, the symbolic / physical possession of which has been taken by the Authorised Officers of UCO Bank (Secured Creditor), will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis and invites bids from the intending purchasers for purchase of immovable properties mentioned hereunder.

Sr. No.	Name of the Branch & Borrower / Guarantor	Details of Immovable Properties	Possession Date / Status of possession (Physical or Symbolic)	Demand Notice Date & Amount	Reserve Price	Details of Officer Concerned	Date and Time of Auction
					EMD Bid Increase Amount		
1.	AMBALA CITY Borrower(s):- (1) Asha Rani (2) Satish Kumar, House No. 465, Sector 7, Ambala City.	Property: House No. 465, measuring 138 Sq. Meters, Sector 7, Ambala City, Butted & Bounded by:- East: Road; West: Talab; North: Park; South: Plot No. 3, House No. 464.	30.05.2026 / Symbolic	20.02.2026 / Rs. 3,92,169.87* Less repayments made after NPA	Rs. 2,20,00,000/- Rs. 22,00,000/- Rs. 20,000/- E-mail: ambaci@uco.bank.in	Mr. Laxman Singh Khatana M.: 9414275704	10.11.2026 11:00 A.M. to 05:00 P.M.
2.	AMBALA CITY Borrower(s):- M/s BS Properties 09140510002711, 09140610013571, Address:- Ambala City	Property: Plot No. 4 situated at Vishu Vihar Adjoining Sonia Colony Abadi Mahinder Nagar, Ambala City measuring 150 Sq. Yards comprising in Khewat / Khatauni No. 483/530, Khasra No. 33/9/12, 10/1, 12/1 Vaka Rakba Patti Acharaan, Tehsil and District Ambala. Butted & Bounded by:- East: Water Drain / Rasta; West: Rasta; North: Plot No. 5 South: Plot No. 3	14.10.2022 / Symbolic	25.01.2022 / Rs. 18,22,484.06* Less repayments made after NPA	Rs. 15,00,000/- Rs. 1,50,000/- Rs. 10,000/- E-mail: ambaci@uco.bank.in	Mr. Laxman Singh Khatana M.: 9414275704	10.11.2026 11:00 A.M. to 05:00 P.M.

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 1961

Terms & Conditions:- (1) The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. 2. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 4. The auction sale will be "online through e-auction" portal <https://baanknet.com>. 5. The intending Bidders / Purchasers are requested to register on portal <https://baanknet.com> using their mobile number and E-mail ID. Further, they are requested to upload requisite KYC documents. Once the KYC documents are verified by e-auction service provider (may take 2 working days), the intending Bidders / Purchasers has to transfer the EMD amount using online mode in his Global EMD Wallet ON before the E-Auction Date and time in the portal. The registration, verification of KYC documents and transfer of EMD in wallet must be completed well in advance, before auction. 6. Platform <https://baanknet.com>, for e-Auction will be provided by E-Auction service provider Help Desk No. +91-8291220220, Help Desk E-Mail ID: support.baanknet@psballiance.com. The intending Bidders / Purchasers are required to participate in the E-Auction process at E-Auction Service Provider's website <https://baanknet.com>. 7. For any property related query may contact the Authorised Officer - Mr. Laxman Singh Khatana, M.: 9414275704. 8. The Sale Notice containing the General Terms and Conditions of sale is available / published in the websites / web page portal: <https://baanknet.com>. 9. The intending participants of E-Auction may download free of cost, copies of the Sale Notice, Terms & Conditions of E-Auction, Help Manual on operational part of E-Auction related to this E-Auction from portal <https://baanknet.com>. 10. Bidder's Global Wallet should have sufficient balance (>=EMD amount) at the time of bidding. 11. During the E-Auction bidders will be allowed to offer higher bid in inter-se bidding over and above the last bid quoted and the minimum increase in the bid amount must be as mention above to the last higher bid of the bidders. Ten (10) minutes time will be allowed to bidders to quote successive higher bid and if no higher bid is offered by any bidder after the expiry of ten minutes to the last highest bid, the E-Auction shall be closed. 12. It is the responsibility of intending Bidder(s) to properly read the Sale Notice, Terms & conditions of E-Auction; Help Manual on operational part of E-Auction and follow them strictly. In case of any difficulty or need of assistance before or during e-Auction process may contact authorized representative of our E-Auction Service Provider <https://baanknet.com>. Details of which are available on the E-Auction portal. 13. After finalization of E-Auction by the Authorized Officer, only successful bidder will be informed by our above referred service provider through SMS / E-mail. (On Mobile No. / E-mail Address given by them / registered with the service provider). 14. The secured asset will not be sold below the reserve price. The Authorised Officer reserves the right to accept any or reject all bids, if not found acceptable or to postpone / cancel / adjourn / discontinue or vary the terms of the auction at any time without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final. 15. The sale certificate shall be issued in favor of successful bidder on deposit of full bid amount as per the provisions of the act. 16. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The bidder inspect the property in consultation with the dealing official as per the details provided. All statutory dues / attendant charges / other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the purchaser. 17. The Authorized Officer of the Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to Government or anyone else in respect of properties (E-Auctioned) not known to the bank. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc. 18. The bidder should ensure proper internet connectivity, power back-up etc. The Bank shall not be liable for any disruption due to internet failure, power failure or technical reasons or reasons / contingencies affecting the E-Auctions. 19. The successful bidder has to bear the TDS of 1% if the property value exceeds 50 Lacs. 20. The successful bidder must be improved by at least one bid incremental value, lest the sale shall be cancelled/deferred. 21. This notice is also to be treated as 30 days statutory sale notice to borrower and guarantor under Rule 9(1) Security Interest (Enforcement) Rules 2002. 22. In case of sole bidder the bid amount quoted in his/her bid form must be improved by at least one bid incremental value, lest the sale shall be cancelled/deferred. 23. Sale will not be confirmed if the borrower tenders to the bank contractual dues along with other expenses prior to the Authorised Officer issuing Sale Confirmation letter to the successful bidder, in such case the Bank shall refund without interest the entire amount remitted by the successful bidder.

Place: Chandigarh

Date: 06.10.2026

AUTHORIZED OFFICER

CHANDIGARH

कि आपस नी रात सई ने सोमवार को लिए ही दोनों मृतक कहना सभी तक मेव थाना अनुसार नजाने में ली गई है। ल से दवा रीला पदार्थ कर सभी

NOTICE 20 CPC)

F Klayva Gaur
Division), Ambala
OF INDIA BODY
PROVISIONS OF
ACQUISITION
OF UNDERTAKING
OF ITS BRANCH
COLLEGE AMBALA
ITS CONSTITUTED
RENU GANDHI,
PLAINTIFF
VERSUS
UNIVALS/S/O SH. RAM
NO 53-D INDER PURI
AT PRESENT 25-C
BALACANTT.
W/O DEV PARKASH
NO 53-D INDER PURI
AT PRESENT 25-C
BALACANTT.
KUMAR S/O SURESH
GREEN PARK AMBALA
DEFENDANTS

RAM02-090935-2026
Text Date:- 12-11-2026

IS ISSUED TO:
KUMAR
RESH KUMAR
EN PARK, AMBALA CANTT
titled case, the defendant(s)
(s) could not be served. It
that defendant(s) /
(s) should appear in person
counsel on 12-11-2026 at

For details logon to
highcourtchd.gov.
dist-district_notice&
Ambala
Dated, this day of
026 Civil Judge
(Junior Division), Ambala

- आवंटन में युद्ध विधवाओं/ इयूटी के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं, दिव्यांग सैनिक की पत्नी, पत्नी/विधवाओं के लिए आरक्षण है।
- आवंटन की अवधि तीन वर्ष की कूलिंग ऑफ/ब्रेक अवधि के साथ पांच वर्ष तक होगी। लाइसेंस समझौता प्रारंभ में 11 माह किया जाएगा। प्रत्येक विस्तार पर रिबेट में 10% या अधिक की वृद्धि की जाएगी।
- युक्तान ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की जाएगी जो किसी सरकारी विभाग में प्रतिनियुक्ति/ पुर्ननियुक्ति/ स्थायी नौकरी पर न हों और न ही किसी निजी नौकरी में हों, तथा जिन्हें पेशान के अतिरिक्त पहले से कोई रोजगार/ आय का स्रोत प्राप्त हो।

यूको बैंक



UCO BANK
Honours your trust

ई-नीलामी बिक्री सूचना

यूको बैंक आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ - एससीओ 55-56-57, बैंक स्क्वेयर, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017,
दूरभाष: 0172-5037339, 5037340, ई-मेल: zochng.rec@ucobank.bank.in

ई-नीलामी बिक्री की सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)

प्रतिभूति हित अधिनियम (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सरफेसी) के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण पर प्रतिभूतिकर्ता के अग्रिम अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणियों एवं गारंटियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योरिटी क्रेडिटर्स को मोटोरीज/प्रभारित निम्न वर्गीकृत अचल संपत्तियों का यूको बैंक (सिक्योरिटी क्रेडिटर्स) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा प्रदान किया गया है, जिसकी "जैसे है जहा है" "जो है जैसी है" तथा "जहां पर है जैसी भी है" पर बिक्री की जाएगी तथा निम्न वर्गीकृत अचल संपत्तियों को खरीद हेतु इच्छुक क्रेताओं से बोलाया आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	शाखा एवं ऋणी/ गारंटर का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि/कब्जे की स्थिति (भौतिक अथवा प्रतीकात्मक)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	आरक्षित कीमत ईएमडी योलो वृद्धि राशि	संबंधित अधिकारी का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	अम्बाला शहर ऋणी- (1) आशा रानी (2) सतीश कुमार, मकान सं. 456, सेक्टर 7, अम्बाला शहर	संपत्ति: मकान सं. 456, माप 138 वर्ग मीटर, सेक्टर 7, अम्बाला शहर, बूटेड एवं चौहद्दी-पूर्व: रोड, पश्चिम: तालाब, उत्तर: पार्क, दक्षिण: प्लाट सं. 3, मकान सं. 464	30.05.2026 (प्रतीकात्मक)	20.02.2026/ रु. 3,92,169.87* एनपीए के एचआर किए गए भुगतान को कम करके	रु. 2,20,00,000/- रु. 22,00,000/- रु. 20,00,000/-	श्री लक्ष्मण सिंह खटाना मो. 9414275704	10.11.2026 को प्रातः 11:00 बजे से साय 05:00 बजे
2.	अम्बाला शहर ऋणी-मेसर्स बीएस प्रोपर्टीज 09140510002711, 09140610013571, पता- अम्बाला शहर	संपत्ति: खेवट/खतोनी सं. 483/530, खसरा सं. 33/9/2, 10/1, 12/1 वाका रकबा पट्टी अचारा, तहसील और जिला अम्बाला में सम्मिलित विशु अम्बाला सेवा लगती सोनिया कालोनी आवादी महिंदर अम्बाला शहर माप 150 वर्ग गज पर स्थित प्लाट सं. 4, बूटेड एवं चौहद्दी-पूर्व: वाटर ड्रेनरास्ता, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: प्लाट सं. 5, दक्षिण: प्लाट सं. 3	14.10.2022 (प्रतीकात्मक)	25.01.2022/ रु. 18,122,484.06* एनपीए के एचआर किए गए भुगतान को कम करके	रु. 1,50,00,000/- रु. 15,00,000/- रु. 10,00,000/-	श्री लक्ष्मण सिंह खटाना मो. 9414275704	10.11.2026 को प्रातः 11:00 बजे से साय 05:00 बजे

सरफेसी अधिनियम, 1961 के नियम 8(6) ए अधीन 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

नियम एवं शर्तें - 1. बिक्री प्रतिभूति हित (अचल) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों का विषय होगी। 2. संपत्तियां "जैसा है जहां है" एवं "जो है जैसा है" तथा "जहां पर" के आधार पर" बेची जाएगी। 3. उक्त अनुसूची में वर्णित सिक्योरिटी परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण जानकारी से है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस हकी 5. इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को अपना मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी उपयुक्त करते हुए पोलेंड <https://baanknet.com> पर "ई-नीलामी के माध्यम ऑनलाइन" उक्त केवाईडी दर्तावेज अगुवाई करने का निवेदन किया जाता है। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा एक बार केवाईडी दर्तावेज का सत्यापन किया जाएगा (इसमें 2 कार्यदिवस लग सकते हैं)। इच्छुक बोलीदाता/क्रेता पोलेंड में ई-नीलामी की तिथि व समय से पूर्व अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन विधि उपयुक्त करते हुए ईएमडी हस्तांतरित करेंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा, हेल्पडेस्क सं. +91-8291220220, हेल्पडेस्क ई-मेल आईडी: support.baanknet@psb Alliance.com इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। 7. संपत्ति संबंधी किसी भी पुछताछ हेतु प्राधिकृत अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह खटाना, मो. 9414275704 से संपर्क करें। 8. बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तें बोली बिक्री सूचना <https://baanknet.com> वेबसाइट वेब पेज संबंधी उपलब्ध/प्रकाशित है। 9. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी <https://baanknet.com> पोलेंड से बिक्री सूचना, ई-नीलामी की नियम एवं शर्तें और ई-नीलामी के संचालन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कंठिआई या सहायता को आवश्यकता होने पर, हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता <https://baanknet.com> के प्राधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क करें। निम्नलिखित विवरण ई-नीलामी पोलेंड पर उपलब्ध है। 10. बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को क्रमिक रूप से उच्च बोली लगाने के लिए दस (10) मिनट का समय दिया जाएगा और यदि यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कंठिआई या सहायता को आवश्यकता होने पर, हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता <https://baanknet.com> के प्राधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क करें। निम्नलिखित विवरण ई-नीलामी पोलेंड पर उपलब्ध है। 11. ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली से अधिक बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं को अंतिम उच्च बोली के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। बोलीदाताओं को क्रमिक रूप से उच्च बोली लगाने के लिए दस (10) मिनट का समय दिया जाएगा और यदि यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कंठिआई या सहायता को आवश्यकता होने पर, हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता <https://baanknet.com> के प्राधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क करें। निम्नलिखित विवरण ई-नीलामी पोलेंड पर उपलब्ध है। 12. इच्छुक बोलीदाता को अंतिम उच्च बोली के दस मिनट समाप्त होने के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं लगाई जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी। 13. प्राधिकृत अधिकारी को बिक्री की बोली को स्वीकार करने या सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वे स्वीकार्य न पाई जाए, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द/स्थगित/पार करने या उसकी शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 14. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता को बोली में फिक्क प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 15. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके निर्वहन का परीक्षण करना और उसके संतुष्ट होना बोलीदाताओं को जिम्मेदारी होगी। बोलीदाताओं को पोलेंड पर फिक्क प्रमाण पत्र जारी करने पर परामर्श करके संपत्ति का निरीक्षण करें। परीक्षण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियों का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा। 16. बैंक का प्राधिकृत अधिकारी बैंक को अंतिम संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में सकारा या किसी अन्य व्यक्ति को देय/किसी भी शुल्क, प्रशाणिकरण, भार या अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को लल्ला दी जाती है कि वे संपत्ति पर मौजूद भार, जिनमें वैधानिक देय/राशि, संपत्ति कर का बकाया, बिजली बिल आदि शामिल हैं, के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जाच करें। 17. बोलीदाता को उचित स्टैटन के कंठिआई/पार और पार बैंक आदि सूचनाएं करना चाहिए। इंटरेक्ट को चिपलला, बिजली को चिपलला या तकनीकी कारणों से ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण होने वाली किसी भी बाधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। 20. यदि संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है, तो सफल बोलीदाता को 1% टीडीएस वहन करना होगा। 21. इस सूचना को नियम 9(1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत ऋणी और गारंटर को 30 दिन की वैधानिक बिक्री सूचना के रूप में भी माना जाएगा। 22. एकमात्र बोलीदाता के मामले में, उसके बोली प्रपत्र में उद्धृत बोली राशि में कम से कम एक बोली वृद्धि मूल्य की वृद्धि होनी चाहिए, अन्यथा बिक्री रद्द/स्थगित कर दी जाएगी। 23. यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता को बिक्री पुष्टकरण पत्र जारी करने से पहले ऋणी बैंक को संविदात्मक देय राशि और अन्य व्यय जमा कर देता है, तो बिक्री की पुष्ट नहीं की जाएगी, ऐसे मामलों में बैंक सफल बोलीदाता द्वारा भेजी गई पुरी राशि बिना व्याज के वापस कर देगा।

दिनांक: 06.10.2026

स्थान: चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी

- एविएशन के क्षेत्र में कम से कम 05 साल का एविएशन अनुभव।
- किसी भी राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग में 5 साल से ज्यादा काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
- टिवन-इंजन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पर काम करने का अनुभव।
- एयर सेफ्टी प्रक्रियाओं, प्लाइट सेफ्टी मैनुअल, FSDS, SMS और अन्य संबंधित मैनुअल की जानकारी।
- आयु सीमा: विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख को अधिकतम 42 वर्ष। योग्य उम्मीदवार 15.10.2026 (गुरुवार) को प्रातः 11 बजे अपने मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी के साथ निदेशक, नागरिक उड्डयन, हरियाणा, तीसरी मंजिल, 30 ब्रेज बिल्डिंग, सेक्टर 17-B, चंडीगढ़ के कार्यालय में पहुंच सकते हैं। यह निविद्ध पूरी तरह से अनुबंध आधार पर होगी। चयन समिति के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। महानिदेशक

PRDH-10117/11/25/2027/49971/6714 नागरिक उड्डयन विभाग, हरियाणा।

उच्च न्यायालय के बांबे आईईनी ओरिजनल दीवानी न्यायालय के न्यायक्षेत्र में
शिकायत क्र. 2016 का 09 में कंपनी याचिका क्र. 2014 की 951
कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 454 (5) तथा 454 (5ए) के मामले में
तथा

लोटस अलाइड मीडियापेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड (परिसमापन प्रक्रिया में)
अधिकृत परिसमापक, उच्च न्यायालय बांबे तथा परिसमापक के
नप में लोटस अलाइड मीडियापेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
(परिसमापन प्रक्रिया में)

विरुद्ध
... याचिकाकर्ता
1. श्री अरुण कुमार शर्मा, (पूर्व निदेशक)
मकान सं. 3366, सेक्टर - 37, डी, चंडीगढ़ - 160022
2. श्री अनूप भट्टाचारजी, (पूर्व निदेशक)
105/बी, गणेश कृपा, सदायत वेराडाइन, बालाजी हॉस्पिटल के पास,
मिरा भायंदर, मिरा रोड पर्व, ठाणे 401105 महाराष्ट्र

... अभियुक्त
प्रति,
1. श्री अरुण कुमार शर्मा,
8931/3, मेन रोड ग्राम नगर, हाथबोवाला, लुधियाना पंजाब 141001
तथा
श्री अरुण कुमार शर्मा,
प्लॉट नं. 509, इंडस्ट्रियल एरिया फेस 11, चंडीगढ़ 16002
तथा
श्री अरुण कुमार शर्मा, 421, सेक्टर - 35 - ए, चंडीगढ़, चंडीगढ़ 160035
2. श्री अनूप भट्टाचारजी
421, सेक्टर - 35 - ए, चंडीगढ़, चंडीगढ़ 160035
एवं
श्री अनूप भट्टाचारजी
प्लॉट नं. 509, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-11, चंडीगढ़ 16002

उक्त नामित अभियुक्त
माननीय उच्च न्यायालय बांबे के समक्ष दिनांक 22.10.2026 को
उक्त याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली दिनांक को उपस्थित रहने हेतु श्री अरुण
कुमार शर्मा एवं श्री अनूप भट्टाचारजी को सूचना की विज्ञापित
जबकि, अधिकृत परिसमापक द्वारा शिकायत क्र. 2016 के 9 धारा कंपनी याचिका
क्र. 2014 की 951 में निम्नानुसार उक्त नामित अभियुक्तों के विरुद्ध राहत की मांग की
गई है:-

(ए) जबकि इस मान. न्यायालय को अभियुक्तों के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करना है तथा
कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 454 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं
सहित शिकायत ना करने हेतु 1956 की धारा 454 (5) अंतर्गत अभियोजन तथा
समन की कार्यवाही की जा सकती है।
तथा
(बी) उच्च न्यायालय को उचित एवं उचित ऐसे अन्य एवं आगामी आदेश हेतु
तथा जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 454 अंतर्गत अपेक्षाओं का साथ शिकायत
में उचित कारण के बिना प्रतिबद्ध आरोपों के जवाब हेतु आगामी उपस्थिति आवश्यक है
तथा इसके लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 454 अंतर्गत दंड हेतु आपको प्रतिबद्ध
होना आवश्यक है। उक्त करित अभियुक्तों से अपेक्षित है कि वे व्यक्तिगत रूप से
अधिकृत के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय बांबे के समक्ष गुहार दिनांक 22.10.2026
को प्रातः 11:00 बजे कंपनी मामले की सुनवाई हेतु माननीय कंपनी न्याय
समक्ष उपस्थित रहना अपेक्षित है।
दिनांक 05 अक्टूबर 2026

अधिकृत परिसमापक
5 वा माला, बैंक ऑफ इंडिया
टेलीफोन